जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 225 वीं बैठक दिनांक 13.02.2015 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमति लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
3. श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त, (भूमि एवम सम्पत्ति समिति) जविप्रा, जयपुर
4. श्री नीरज तिवाड़ी, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :–

1. श्री चन्द शेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान),
2. श्रीमति आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान),
3. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी),
4. श्री राम लाल गुर्जर, उपायुक्त जोन–5,
5. श्री ओम प्रकाश जांगिड़, उपायुक्त जोन–6,
6. श्री सुखवीर सैनी, उपःयुक्त जोन–7,
7. श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन –9,
8. श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन– 11,
9. श्री एम.एस. पालीवाल, उपायुक्त जोन– 12,
10. श्री धर्मपाल सिंह , उपायुक्त जोन– 14,
11. श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन– 15,
12. श्री जगवीर सिंह, उपायुक्त जोन–19,
13. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
14. सहायक नगर नियोजक, जोन–5,6,7,10,11,12,15, मास्टर प्लान

__एजेण्डा संख्याः–1__
225 / 13.02.2015

विषयः– बीपीसी (एलपी) की 224 वीं बैठक दिनांक 19.01.2015 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2 (जोन– 07)

225 / 13.02.2015

विषयः– तोपखाना देश गृह निमार्ण सहाकारी समिति की योजना नेमी नगर विस्तार के अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड़ संख्या 18, 18–ए, 18–बी व 30, 30–ए, व 30–बी की स्थिति पर मौके अनुसार सुविधा क्षेत्र सृजित किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद के परिपेक्ष में निदेशक (विधी) से मार्गदर्शन प्राप्त कर समुचित विधिक प्रकिया अपनाई जावे । जोन के प्रस्तावानुसार भूखण्डधारीयों का मौके पर कब्जा नहीं है व योजना की सदस्यता सूची में नाम भी नही हैं तथा इस योजना में अन्यत्र पार्क हेतु भूमि नहीं है, अतएव इस स्थान पर उपरोक्तानुसार विधिक प्रकिया अपनाते हुए पार्क सृजित कर दिया जावे।

एजेण्डा संख्याः–3 (जोन– 08)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदारी की आवासीय नारायण विहार सी के 3065.10 वर्ग गज के सुविधा क्षेत्रों के (END USE) निर्धारण बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र भूखण्ड का पार्क हेतु उपयोग (END USE) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–4 (जोन–09)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदारी योजना प्रिम प्रोविन्स ब्लाक–ए ग्राम गोनेर तहसील जयपुर में अनुमोदित फैसिलिटी ऐरिया के एन्डयूज (END USE) निर्धारित करने सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र भूखण्ड का अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) हेतु उपयोग (END USE) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–5 (जोन–09)

225 / 13.02.2015

विषयः– गुरूकुल योजना के पुनर्गठित भूखण्ड़ संख्या 1, 2, 3, 8, 9 व 10 को व्यावसायिक पट्टा जारी किए जाने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श का जोन के प्रस्तावनानुसार पुर्नगठित भूखण्ड का भूमि रूपान्तरण आवासीय से व्यवसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पुर्नगठित भूखण्ड से उत्तर दिशा – 30 फिट सड़क की ओर कोई आवागमन मार्ग या गेट अनुज्ञेय नहीं होगा,साथ ही इस ओर भूतल पर भवन की कोई opening नहीं होगी, यह शर्त साइट प्लान पर अंकित की जावे।

एजेण्डा संख्याः–6 (जोन– 11)

225 / 13.02.2015

विषयः– आवेदक मैसर्स गैलेक्सी रीयलमार्ट प्रा.लि. एवं मैसर्स गैलेक्सी बिल्डमार्ट प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री अभिनीत डागा पुत्र स्व. श्री तेज करण डागा, एवं रामकिशन वर्मा पुत्र श्री धन्नालाल वर्मा के द्वारा ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर आवासीय योजना "गैलेक्सी एनक्लेव" का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संशोधित डिमार्केशन योजना मानचित्र प्रस्तुत किया हैं।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया । योजना का क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड की रकबा बरारी एवं मौका स्थिती अनुसार 0.33 हैक्टेयर बढ़ रहा है जिसे उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार स्वीकार किया गया। योजना में राजकीय भूमि शामिल है जिसके लिए प्रस्तावित मानचित्र में टाउनशिप पालिसी के प्रावधानानुसार 60 प्रतिशत विकसित भूमि के भूखण्ड जविप्रा हक में प्रस्तावित किये गये है। योजना में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर से अधिक है, अतएव राज्य सरकार से स्वीकृति पश्चात पट्टा विलेख जारी किया जावे। जोन के प्रस्तावानुसार आवासीय योजना गैलेक्सी एन्कलेव का संशोधित डिमार्केशन प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–7 (जोन–14)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदार की अनुमोदित योजना आधार ड्रीम ग्राम डाबला बुजुर्ग में स्थित सुविधा क्षेत्र में प्राकृतिक चिकित्सालय के लिए 6000 वर्गगज भूमि का एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार 5036.34 वर्गमीटर भूखण्ड का प्राकृतिक चिकित्सालय के लिए उपयोग (END USE) निर्धारित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि 2037.50 वर्गगज के फैसलिटी भूखण्ड को पार्क एरिया 2024.20 वर्गगज में मिलाकर पार्क की साइज को बढ़ा दिया जावे।

एजेण्डा संख्याः—8 (जोन— 15)

225 / 13.02.2015

विषयः— निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना के सुविधा क्षेत्र के एण्ड यूज के निधारण के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र भूखण्ड का सामुदायिक केन्द्र (रेस्टोरेन्ट सहित) हेतु उपयोग (END USE) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः—9 (जोन—19)

225 / 13.02.2015

विषयः— सरस्वती एनक्लेव के लम्बित भूखण्डों का पट्टा जारी करने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा बताया गया कि यह भूमि पृथ्वीराज नगर योजना में अवाप्त की जा चुकी है एवम म्यूटेशन जविप्रा के नाम दर्ज है। अतएव प्रभावित खसरों के खातेदारों से अनापत्ति हेतु उपायुक्त जोन के स्तर से विज्ञप्ति जारी कर, प्राप्त प्रतिवेदनो का समुचित निस्तारण किया जावें । तत्पश्चात जोन स्तरीय समिति के स्तर से योजना का अनुमोदन कर पृथ्वीराज नगर नियमन नीति के अनुसार प्रभावित भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी कर दिये जावे।

एजेण्डा संख्याः—10 (जोन—19)

225 / 13.02.2015

विषयः— महिमा नगर विस्तार, ग्राम खेजडों का बास के नियमन से वंचित भूखण्डों के पट्टे जारी किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा बताया गया कि यह भूमि पृथ्वीराज नगर योजना में अवाप्त की जा चुकी है एवम म्यूटेशन प्रक्रिया जैरकार है। अतएव प्रभावित खसरों के खातेदारों से अनापत्ति हेतु उपायुक्त जोन के स्तर से विज्ञप्ति जारी कर, प्राप्त प्रतिवेदनो का समुचित निस्तारण किया जावें । तत्पश्चात जोन स्तरीय समिति के स्तर से योजना का अनुमोदन कर पृथ्वीराज नगर नियमन नीति के अनुसार प्रभावित भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी कर दिये जावे।

एजेण्डा संख्याः–11 (जोन– 06/मास्टर प्लान)

225/13.02.2015

विषयः– सेक्टर प्लान 33 में स्वीकृत 80 फीट सेक्टर सडक (उत्तर–दक्षिण) का Alignment मौके पर निर्मित सडक के अनुरूप परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव।

उक्त एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में आ रही अन्य सेक्टर सडको, मौके पर स्थित सडको एवं कमिटमेन्ट का पूर्ण परीक्षण जोन द्वारा करवाया जाकर कर प्रकरण को समस्त तथ्यो सहित बीपीसी(एलपी) के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–12 (जोन–09/मास्टर प्लान)

225/13.02.2015

विषयः– जविप्रा के सैक्टर 37 में 300 फीट की सडक से प्रस्तावित एकल पट्टे की ग्रुप हाउसिंग योजना (खसरा नम्बर 380 से 385, 516/3685, 517/3684 व 538 से 547 ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर) में प्रस्तावित 80 फीट सडक को सैक्टर प्लान मे समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त एजेण्डा प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात 80 फीट सडक को सेक्टर प्लान का भाग नही माने जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–13 (मास्टर प्लान)

225/13.02.2015

विषयः– अनमोदित जोनल विकास योजना – 3 के प्रिंटिग से पूर्व मानचित्र में आंशिक सुधार किये जाने बाबत्।

जोनल विकास योजना–3 के अनुमोदन हेतु एजेण्डा बीपीसी (एलपी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये–

1. बीपीसी (एलपी) की 216वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 में लिये गये निर्णयों के क्रम में योजना मानचित्र मे किये गये सुधार को स्वीकार किया गया एवं मानचित्र मे दर्शित अण्डरपास, फ्लाईओवर व अन्य ग्रेडसेपरेटर व दर्शित मैट्रो स्टेशन का अलाईमेन्ट उक्त नक्शे के अनुसार नहीं माना जाकर मौके पर कियान्वित एलाइनमेंट को ही माना जाने का निर्णय लिया गया।

2. बिन्दु संख्या 3 में दिये गये ऐजेण्डा के प्रस्तावो को समिति द्वारा स्वीकार कर मानचित्र में उक्त अनुसार सुधार किये जाने का निर्णय लिया गया। एच टी लाईन व रेलवे लाईन के संबंध में मानचित्र मे उक्त आशय का नोट अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. बिन्दु संख्या 4 में प्रस्तावित महत्वपूर्ण सुधारो पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

क. बिन्दु संख्या 4(i) के प्रस्ताव अनुसार सडकों के सहारे–सहारे विभिन्न योजनाओं के अनुसार Singal Plot Depth तक वाणिज्यिक भू उपयोग दर्शाये जाने के स्थान पर मास्टर विकास योजना 2025 में दर्शाये अनुसार ही वाणिज्यिक भू–पट्टी दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें मास्टर विकास योजना–2025 मे वर्णित प्रावधान ही लागू होगें एवं साथ ही एजेण्डा प्रस्ताव के बिन्दु संख्या–4(ii), 4(iii) व 4(v) को प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

ख. बिन्दु संख्या–4(iv) के एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार निर्णय लिया गया कि प्रारूप जोनल विकास योजना–3 में सडक के सहारे–सहारे स्थित छोटे–छोटे विभिन्न भू–उपयोग यथाः सार्वजनिक व अर्द्ध सार्वजनिक, जन उपयोगिता आदि, मौका स्थिति अनुसार दर्शाये गये थे। परन्तु उक्त भू–उपयोग सक्षम स्तर से अनुमोदित है अथवा नहीं की जानकारी के अभाव में उक्त भू–उपयोगों को मास्टर विकास योजना–2025 में दर्शित अनुसार कॉमर्शियल पट्टी के रूप में ही दर्शाया जावे। उक्त भू–उपयोगों के संबंध में प्रकरणवार नियमानुसार भू–उपयोग हेतु मानदण्ड पूर्ण करते हो तो गुण दोष के आधार पर बीपीसी (एलपी) द्वारा निर्णय किया जा सकेगा।

ग बिन्दु संख्या– 4(vi) के एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार जोनल विकास योजना–3 के मानचित्र में प्रारूप सेक्टर–79 के प्रस्तावों को भी सेक्टर प्लान–79 के अंतिम अनुमोदन पश्चात जोनल विकास योजना–3 का भाग माने जाने का निर्णय लिया गया।

घ बिन्दु संख्या–4(vii) के प्रस्ताव अनुसार सेक्टर 12 के क्षेत्र में आ रही रीको की भूमि पर प्रस्तावित मास्टर विकास योजना की सडक का अलाईमन्ट परिवर्तन कर नाले की Recreational भू–पट्टी के सहारे–सहारे सडक दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया जिसे पृथक से प्राधिकरण से भी अनुमोदन कराया जावे।

ङ. बिन्दु संख्या 4(viii) में एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार निर्णय लिया गया कि प्रकरण को बीपीसी (बीपी) शाखा द्वारा परीक्षण कर बीपीसी (बीपी) की बैठक में प्रस्तुत किया जावे व बीपीसी (बीपी) के निर्णय पश्चात उक्तानुसार मानचित्र मे अंकित किया जावे। साथ ही सहवन से उक्त बिन्दु में जवाहर नगर अंकित हो गया था जिसे जवाहर लाल नेहरू मार्ग पढ़ा जावे।

च. बिन्दु संख्या 4(ix) के एजेण्डा प्रस्ताव अनुसार निर्णय लिया गया कि मानचित्र में जो छोटे–छोटे भू–उपयोग Existing Landuse के अनुसार दर्शाये गये हैं के संबंध में गुणदोष के आधार पर व मानदण्ड अनुसार बीपीसी (एलपी) द्वारा प्रकरण वार निर्णय किया जा सकेगा।

छ. बिन्दु संख्या 4(x), 4(xi), 4(xii) के एजेण्डा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। साथ ही बिन्दु संख्या–4(X) में सहवन से गांधी नगर रेल्वे स्टेशन अंकित हो गया था जिसे दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन पढ़े जाने का निर्णय लिया गया।

4. एजेण्डा प्रस्तावो को स्वीकार कर निर्णय लिया गया कि जोनल प्लान–3 के क्षेत्र में भू–उपयोग से संबंधित विरोद्धाभास होने पर बीपीसी (एलपी) द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जावेगा। जोनल विकास योजना मे भू–उपयोग के Development Control Regulations मास्टर विकास योजना–2025 के Volume-4 अनुसार ही मान्य होगे।

उपरोक्त विचार विमर्श पश्चात जोनल विकास योजना 3 का अनुमोदन एजेण्डा मय रिपोर्ट का अनुमोदन किये जोन का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–1 (जोन–12बी)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदारी की आवासीय योजना बालाजी सिटी–द्वितीय में अर्फोडेबल हाउसिंग हेतु आरक्षित ईडब्ल्यूएस / एलआईजी को रिलीज किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार आवासीय योजना बालाजी सिटी – द्वितीय में अर्फोडेबल हाउसिंग हेतु आरक्षित ई डब्ल्यू एस / एल आई जी भूखण्डों को सामान्य भूखण्डो में रिलीज किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–15)

225 / 13.02.2015

विषयः– आवासीय ग्रुप हाउसिंग योजना के सुविधा क्षेत्र के एण्ड यूज के निर्धारण बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र भूखण्ड का प्ले स्कूल व स्पोर्टस सेन्टर हेतु उपयोग (END USE) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–19)

225 / 13.02.2015

विषयः– रामनगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मोती नगर–ए राजस्व ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के भूखण्ड संख्या 1 से 10, 19, 54 व 55 की लीजडीड जारी किये जाने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा बताया गया कि यह भूमि पृथ्वीराज नगर योजना में अवाप्त की जा चुकी है एवम म्यूटेशन जविप्रा के नाम दर्ज है। अतएव प्रभावित खसरों के खातेदारों से अनापत्ति हेतु उपायुक्त जोन के स्तर से विज्ञप्ति जारी कर, प्राप्त प्रतिवेदनो का समुचित निस्तारण किया जावें । तत्पश्चात जोन स्तरीय समिति के स्तर से योजना का अनुमोदन कर पृथ्वीराज नगर नियमन नीति के अनुसार प्रभावित भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी कर दिये जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–4 (जोन–14)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदार की अनुमोदित योजना सैग्विन ऑफिसर्स कैम्पस ब्लॉक–डी में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 554.66 व.ग. भूमि का स्कूल / संस्थानिक प्रयोजनार्थ एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड में सैट बेक छोड़ने के पश्चात बिल्टअप एरिया नही मिलता है, अतएव प्रस्ताव निरस्त किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–5 (जोन–14)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदार की अनुमोदित योजना सैग्विन ऑफिसर्स कैम्पस में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 5225.18 व.ग. भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र भूखण्ड का संस्थानिक हेतु उपयोग (END USE) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–6 (जोन–14)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदार की अनुमोदित योजना सैग्विन ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार पार्ट–द्वितीय में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 500 व.ग. भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र भूखण्ड का संस्थानिक हेतु उपयोग (END USE) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–7 (जोन–14)

225 / 13.02.2015

विषयः– ग्राम चंदलाई तह. चाकसू के खसरा नंबर 1507 / 1,1508 / 1, 1508 / 1, 1509 / 1, 1510, 1511 / 2 में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 1237.89 व.ग. भूमि का पर्यटन इकाई / मोटल प्रयोजनार्थ एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के साथ दर्शित सुविधा क्षेत्र का प्रस्तावित पर्यटन इकाई / मोटल प्रयोजनार्थ उपयोग (END USE) अस्वीकृत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–8 (जोन–14)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदार की अनुमोदित योजना कपिश विहार में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 472.66 व. ग. भूमि का कम्यूनिटी सेन्टर/संस्थानिक प्रयोजनार्थ एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र भूखण्ड का सामुदायिक केन्द्र हेतु उपयोग (END USE) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–9 (जोन–14)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदार की अनुमोदित योजना पदम वाटिका में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 12680.27 व.ग. में से 3780.06 व.ग. भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध मे।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र भूखण्ड का संस्थानिक हेतु उपयोग (END USE) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–10 (जोन–14)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदार की अनुमोदित योजना आशादीप ग्रीन्स विस्तार में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 4480.00 व.मी. में से 2240.00 व.मी. भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर खातेदार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–11 (जोन–14)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदार की अनुमोदित योजना शिव विहार में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 12926.44 व. ग. भूमि का स्कूल / संस्थानिक प्रयोजनार्थ एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध मे।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित सुविधा भूखण्ड के उत्तर की ओर 4000 वर्गगज में पार्क हेतु व शेष दक्षिणी भाग में स्कूल हेतु उपयोग (END USE) निर्धारित कर दिया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–12 (जोन–14)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदार की अनुमोदित योजना कपिश विहार–ए में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 829.39 व.ग. भूमि का कम्यूनिटी सेन्टर / संस्थानिक प्रयोजनार्थ एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र भूखण्ड का सामुदायिक केन्द्र हेतु उपयोग (END USE) निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः—13 (जोन—14)

225 / 13.02.2015

विषयः— निजी खातेदार की अनुमोदित योजना सैग्विन ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार पार्ट—प्रथम में दर्शित सुविधा क्षेत्रफल 1275.69 व.ग. भूमि का क्लब हाउस प्रयोजनार्थ एण्ड यूज परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। जोन के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मानचित्र में स्थिती स्पष्ट नही है, अतएव प्रकरण स्थिती स्पष्ट किये जाने हेतु स्थगित किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः—14 (जोन 14ए)

225 / 13.02.2015

विषयः— सुविधा क्षेत्र के फाईनल उपयोग (END USE) निर्धारण बाबत बीपीसी—एल.पी. की बैठक दिनांक 13.02.2015 के विचारार्थ एजेण्डा नोट।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया :

क्र.स.	योजना	सुविधा क्षेत्र –END USE
1.	रधुवैली	(अ) 3176.54 पार्क
2.	श्याम आंगन	(अ) 8514.50 – बैक्वेट हाल – मैरिज गार्डन
		(ब) 3602.86 – अस्पताल
		(स) 5772.30 – स्कूल
		(द) 3485.18 – हैल्थ रिसोर्ट
3.	कनक वाटिका विस्तार इ एफ जी	(अ) 3522.92 – अस्पताल
		(ब) 5034.10 – सामुदायिक केन्द्र
		(स) 3012.94 – स्कूल
4.	बालाजी एन्कलेव बी ब्लॉक	(अ) 7502.96 – अस्पताल
		(ब) 1696.62 – स्कूल
5.	मथुरावाला बी	(अ) 4629.50 – स्कूल
		(ब) 1351.68 – डिस्पेन्सरी
6.	गंगा एन्कलेव	(अ) 3255.39 – डिस्पेन्सरी
		(ब) 1380.93 – स्कूल
7.	विनायक संस्कृति	(अ) 869.71 – डिस्पेन्सरी
		(ब) 808.00 – गेस्ट हाउस
8.	हनुमान वाटिका ए–1	(अ) 3692.64 – स्कूल
9.	बालाजी एन्कलेव ए	(अ) 1384.10 – डिस्पेंसरी
10	गंगा एन्कलेव I	(अ) 3292.34 – प्ले स्कूल
11	श्रीराम एन्कलेव सी	(अ) 2594.18 – अस्पताल
12	श्री राम एन्कलेव डी हनुमान वाटिका ए–1	(अ) 2340.00 – स्कूल
		(ब) 5451.48 – पार्क

अतएव सुविधा क्षेत्रो का उपरोक्तानुसार उपयोग (END USE) निर्धारित कर दिया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–15 (जोन–8)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदारी की आवासीय योजनाओं में सुविधा क्षेत्रों की भूमि के (END USE) के निर्धारण के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नावत निर्णय लिये गये :

क्र.स.	योजना	सुविधा क्षेत्र	END USE
1.	सीताराम एन्कलेव	491.29	पार्क
2.	वास्तुनगर फेज –5	1127.40	पार्क
3.	रामेश्वरधाम	2942.95	पार्क
4.	त्रिपुरा नगर	375.45	पार्क

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–16 (जोन–12)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदारी की ए.आर.जी. इण्ड्रस्ट्रीयल पार्क औधोगिक योजना ग्राम बगरूरावांन तहसील सांगानेर के संशोधित मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावित औद्योगिक योजना ए आर जी इन्डस्ट्रीयल पार्क का संशोधित डिमार्केशन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–17 (जोन–12)

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदारी योजना एस.एन.जी. इण्डस्ट्रीयल पार्क योजना अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। आवेदक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत संशोधित मानचित्र को मद्देनजर रखते हुये, प्रस्तावित औद्योगिक योजना एस एन जी इन्डस्ट्रीयल पार्क के मानचित्र को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः—18 (जोन—15)

225 / 13.02.2015

विषयः— सुविधा क्षेत्र के फाईनल उपयोग निर्धारण करने के संबंध में।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नावत निर्णय लिये गये :

योजना	सुविधा क्षेत्र –END USE
1. मोती सन्स टाउनशिप	(a) 4639.24 सामुदायिक केन्द्र
	(b) 1377.35 बैक (वित्तीय संस्था)
	(C) 739.60 मंदिर
	(d) 323.74 मंदिर हेतु पार्किंग प्रस्ताव
	(e) 1505.61 प्रस्ताव निरस्त
	(f) 1826.13 क्लब हाउस
2. ओमेक्स सिटी	खातेदार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक स्थगित किये किये जाने का निर्णय लिया गया
3. नन्दन ग्रीन	खातेदार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक स्थगित किये किये जाने का निर्णय लिया गया
4. जयपुर ग्रीन	खातेदार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक स्थगित किये किये जाने का निर्णय लिया गया
5. श्री जुगल किशोर	खातेदार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक स्थगित किये किये जाने का निर्णय लिया गया

अतएव सुविधा क्षेत्रो का उपरोक्तानुसार उपयोग (END USE) निर्धारित कर दिया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः—19 (जोन—15)

225 / 13.02.2015

विषयः— निजी खातेदारी की आवासीय योजना ओमेक्स सिटी के भूखण्ड संख्या 1545 से 1561 में योजना मानचित्र संशोधन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना मानचित्र में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 1545 से 1561 तक भुखण्डो के संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। भुखण्ड संख्या 1545 ए को पार्क में शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–20 (जोन–5)</u>

225 / 13.02.2015

विषयः– योजना अर्जुनपुरी के भूखण्ड संख्या 31 श्रीमती अंगूरी देवी [illegible]।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में अनुमोदित योजना ले आउट प्लान में प्रश्नगत सड़क 40 फिट अनुमोदित है । अतएव सड़क क्षेत्र में अवस्थित अतिक्रमण के लिये समुचित विधिक प्रकिया अपनाकर प्रवर्तन शाखा व उपायुक्त जोन के स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जावे।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–21 (जोन–12)</u>

225 / 13.02.2015

विषयः– निजी खातेदारी योजना अनुकृति ग्रीन में अनुमोदित सुविधा क्षैत्र के (END USE) निर्धारण बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन–12 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 4103.17 वर्गगज भूमि का (END USE) नर्सिंग होम हेतु तथा 5326.87 वर्गगज भूमि का (END USE) स्कूल हेतु तथा 2531.67 वर्गगज भूमि की (END USE) गेस्ट हाऊस हेतु किये जाने का निर्णय किया गया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–22 (जोन–10)</u>

225 / 13.02.2015

विषयः– एकल पटटे प्रकरण व निजी खातेदार योजना मे सुविधा क्षेत्र को (END USE) निर्धारण बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन–10 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार वृद्वाआश्रम एवं रेस्टोरेन्ट उपयोग (END USE) निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया की निजी भूमि के एकल पटटे के प्रकरणों मे संबंधित आवेदको को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:–23 (जोन–11)

225 / 13.02.2015

विषय:– जोन क्षेत्राधिकार के निजी खातेदारी आवासीय योजनाओं के सुविधा क्षेत्र का उपयोग (END USE) निर्धारण बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष उपायुक्त जोन–11 द्वारा प्रस्तत किया गया। समिति द्वारा विचार विर्मश कर निम्नवत निर्णय लिये गये :–

क्र. स.	योजना का नाम	सुविधा क्षेत्रफल (वर्गगज में)	निर्धारित उपयोग
1.	अनुकृति दी एम्पीरियन	(क) 6058.90 व.ग.	स्कूल
		(ख) 2892.05 व.ग.	अस्पताल
2.	किंग्स रेजीडेन्सी	(क) 1611.95 व.ग.	स्कूल
		(ख) 1307.07 व.ग.	नर्सिंग होम
		(ग) 800.88 व.ग.	सामुदायिक केन्द्र
		(घ) 310.00 व.ग.	धार्मिक स्थल
		(ण) 103.79 व.ग.	पार्क
3.	सेलिब्रिटी होम्स	230.64 व.ग.	क्लीनिक
4.	गोविन्द सिटी–II	445.08 व.ग.	डिस्पेसरी
5.	मेडीकल रीजेन्सी	(क) 1960.00 व.ग.	पार्क
		(ख) 593.64 व.ग.	पार्क
		(ग) 1105.95 व.ग.	पार्क
6.	दादू दयाल सागर	2295.92 व.ग.	पार्क
7.	स्वास्तिक ग्रीन सिटी	(क) 550.22 व.ग.	डिस्पेंसरी
		(ख) 1941.22 व.ग	नर्सिंग होम
		(ग) 9046.33 व.ग	स्कूल
		(घ) 410.55 व.ग.	रेस्टोरेन्ट
8.	गोविन्दम ग्लोबल सिटी ब्लॉक–बी	368.56 व.ग	धार्मिक स्थल

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–24 (जोन–7)

225 / 13.02.2015

विषय :– जोन 7 की निजी खातेदारी योजना मां हिंगलाज नगर विस्तार के सुविधा क्षेत्रो के उपयोग (END USE) निर्धारण बाबत।

उपायुक्त जोन 7 द्वारा समिति के समक्ष योजनाओं के सुविधा क्षेत्र को एण्ड यूज निर्धारित करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । एजेण्डा के कम संख्या 12 में निजी खातेदारी की योजना मां हिंगलाज नगर विस्तार के सुविधा क्षेत्र के आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। अन्य योजनाओं के एजेण्डा अनुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है

अतः समिति द्वारा मां हिंगलाज नगर योजना के सुविधा क्षेत्रों का एण्ड यूज निम्नानुसार स्वीकृत किया गया।

योजना में सुविधा क्षेत्र (वर्गमीटर)	समिति द्वारा अनुमोदित निर्धारित एण्ड यूज में
253.09	एटीएम
183.28	सरस डेयरी
1792.91	सैकण्ड्री विद्यालय
1141.51	चिल्ड्रन सेंटर व हॉस्टल
1129.65	पार्क

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–25 (मास्टर प्लान)

225 / 13.02.2015

विषय :– **पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. ग्राम बीलवा, बास बीलवा एवं श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर में स्थित आवासीय योजना न्याय वाटिका मैन व ब्लॉक बी, सी, डी, ई में सक्टर प्लान 61 की 60 फीट चौडी रोड के विलोपित किये जाने अथवा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

उक्त एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कि सेक्टर रोड से प्रभावित योजना के सभी भूखण्ड मौके पर रिक्त है एवं सेक्टर रोड काफी लम्बे क्षेत्र को लिंक कर रही है अतः इसे यथावत रखते हुए सेक्टर रोड को विलापित नही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:–26 (मास्टर प्लान)

225 / 13.02.2015

विषय :– जविप्रा के प्रशासनिक मानचित्र एवं जोन पुनर्गठन आदेश अनुसार उपायुक्त जोन–5 की सीमा में आ रहे सेक्टर 5 एवं पृथ्वीराज नगर रोड़ नेटवर्क प्लान जी के मानचित्र की सीमा दुरूस्ती बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा प्रस्ताव व प्रार्थी के प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि अरविन्द गृ.नि.स.स की योजना एस बी बी जे आफिसर्स कालोनी की भूमि पृथ्वीराज नगर जोन 18 के अवाप्ति क्षेत्र में है अतएव इसे जोन 18 क्षेत्र का भाग माना जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में जहां भी जोन क्षेत्र का विरोधाभास है वहां पर पृथ्वीराज नगर अवाप्ति की सीमा को ही आधार मान कर जोन सीमा को निर्धारित माना जावे एवम तदानुसार संबंधित जोन द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जावें।

18/2/15

सदस्य सचिव

बीपीसी (ले आउट प्लान)

क्रमांक :–जविप्रा / बीपीसी (एलपी) / 2015 / डी– 24 दिनांक :– 18/02/15

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / पुर्नवास / पी.आर.एन जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
6. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन...... .जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

वरिष्ठ नगर नियोजक,

बीपीसी (ले आउट प्लान)